राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 7, मंगलवार, शाके 1939–मार्च 28, 2017
Chaitra 7, Tuesday, Saka 1939–March 28, 2017

सत्यमेव जयते

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 24, 2017

एस.ओ.149 :– राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि 1 अप्रेल, 2017 से नीचे दी गई अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट फीस की दरें, लोक निर्माण विभाग के नियंत्रण और प्रबंध की अधीन की सड़कों पर पड़ने वाले पहुंच मार्गों, उपमार्गों को सम्मिलित करते हुए ऐसे सभी स्थाई पुलों का, पहुँच मार्गों को सम्मिलित करते हुए सुरंगों और सडक के ऐसे किसी भी अनुभाग का, जो विकसित, संनिर्मित, पुनःसंनिर्मित, उन्नत या मरम्मत, सुदृढ़ीकृत, चौड़ा किया गया हो, और जो राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या निकाय या संगम या व्यष्टि संगम चाहे निगमित हो या नहीं के व्यय पर या दोनों, अर्थात् राज्य सरकार या अन्य ऐसा व्यक्ति या निकाय या संगम के व्यय पर निर्मित किये गये हैं, उपयोग कर रहे यानों के प्रभारी उन सभी व्यक्तियों से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उद्गृहीत की जायेंगी और प्रभार्य होंगी, अर्थात:–

1. फीस ऐसी सुविधाओं/परियोजनाओं पर, जो राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के पश्चात् संनिर्मित या विकसित की जायेंगी उद्गृहीत की जायेगी।

2. ऐसे सभी स्थाई पुल, जिसके निर्माण की लागत 50 लाख रू. से अधिक नहीं हो और पहुंच मार्ग को सम्मिलित करते हुए ऐसे सभी उपमार्गों, सुरंगों और सड़क का कोई भी अनुभाग, जो संनिर्मित, पुनःसंनिर्मित, उन्नत या मरम्मत, किया गया हो, जिसके निर्माण की

लागत 75 लाख रू. से अधिक नहीं हो, फीस उद्‌ग्रहण से छूट प्राप्त होंगे।

3. **राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्थानीय निकाय से किसी** सड़क या उसके अनुभाग के विकास के संबंध में करार कर सकेगी। ऐसा व्यक्ति या कोई भी स्थानीय निकाय, जिसके साथ करार किया गया है, अनुसूची के अनुसार उद्‌ग्रहणीय सम्पूर्ण फीस या उसका ऐसा भाग और, सड़क के विकास और फीस के संग्रहण में अन्तर्वलित व्यय, विनिहित पूंजी पर ब्याज, विनिधान पर युक्तियुक्त प्रत्यागम और यातायात के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, ऐसी कालावधि के लिए संग्रहित करने या रखे रखने का हकदार होगा, जो करार पायी जाये।

4. यान द्वारा सन्निर्माण सुविधा से एक से अधिक बार गुजरने की दशा में अर्थात् आने जाने को फीस के प्रभार के लिए ऐसी यात्रा को एक इकाई समझा जायेगा, जिसके लिए उपयोक्ता के पास डेढ़ गुणा फीस संदत्त करने का विकल्प होगा। यह विकल्प उसी दिन की गई यात्राओं तक सीमित होगा।

5. सभी यानों के लिए सुविधा/सन्निमार्ण का उपयोग करने के लिए अनुसूची में उल्लिखित एक बार की फीस का 30 गुना संदाय करके मासिक पास प्राप्त किये जा सकेंगे।

6. यदि किसी सड़क पर किसी 30 किमी की दूरी के भीतर–भीतर दो या अधिक पुल या सुरंगें हों और किसी सड़क पर 50 किमी की दूरी के भीतर–भीतर दो या अधिक उपमार्ग हों या सड़क का ऐसा कोई अनुभाग, जो संनिर्मित या पुनःसंनिर्मित, उन्नत किया गया हो या उसकी मरम्मत की गई हो तो एक से अधिक सुविधा पर कोई भी फीस संदेय नहीं होगी।

7. रक्षा विभाग के यानों, पुलिस विभाग के यानों, अग्नि शमन यानों, एम्बुलेंसों, अन्त्येष्टि वेनों, डाक–तार विभाग के यानों, केन्द्र और राज्य सरकार के यानों, माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के यानों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के यानों, लोकायुक्त के यानों, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के यानों, संसद और विधान सभा के आसीन सदस्यों, विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों के हल्के निजी यानों और प्रत्यायित पत्रकारों द्वारा उनके उपयोग के हल्के मोटर यानों को फीस के उद्‌ग्रहण से छूट प्राप्त होगी।

8. भागतः आनुपातिक फीस का, करार के अनुसार परियोजना में प्रस्तावित सड़क लम्बाई का 50 प्रतिशत से अधिक का संनिर्माण होने के पश्चात् ही, उद्ग्रहण अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि कम से कम 50 किमी लंबी सड़क संनिर्मित हो गई हो।

अनुसूची
(फीस की दर)

क्र.सं	यानों का प्रवर्ग	ऐसे पुलों, सुरंगों और उन उपमार्गों और सड़कों के लिए जिनकी लम्बाई 20 किमी तक है, प्रति दौरा प्रति यान फीस दर (रू0 में)	उन उपमार्गों और सड़कों के लिए जिनकी लम्बाई 20 किमी से अधिक है, स्तंभ 3 में कथित दरों के पश्चात् संदेय प्रति दौरा/किमी फीस की दरें। प्रथम 20 किमी तक के लिए स्तंभ 3 की नियत दरें (प्रति किमी रू.) लागू होंगी।
1	2	3	4
1	(क) अकृषिक उपज ले जा रहे ट्रेक्टर मय ट्रौलियों के (कृषि उपज ले जा रही और ऐसे प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत ट्रेक्टर ट्रौलियों द्वारा कोई कर संदेय नहीं होगा)।	7.45	0.19
	(ख) टेम्पों, कारें, टैक्सियां, प्राइवेट कारें, जीपें	24.79	0.62
2	मोटर लारियां, बसें मिनी-बसें और अन्य भारी मशीनरी जैसे मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	62.02	1.60
3	(क) ट्रक जिनका रजिस्ट्रीकृत लेडन वजन 5 (पांच) टन तक हो	84.34	2.08
	(ख) ट्रक जिनका रजिस्ट्रीकृत लेडन वजन 5 (पांच) टन से अधिक हो	126.48	3.17
4	मल्टी-एक्सल ट्रक/ ट्रेलर	208.34	5.24

टिप्पणी :-

1. यह लेडन सहित और लेडन रहित ट्रकों पर प्रभारित किया जायेगा।
2. ऊपर सारणी में उल्लिखित फीस की दरें 5 रू. के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित कर नियत की जायेंगी।

3. ऊपर उल्लिखित दरें 1 अप्रेल, 2017 से लागू होंगी। अगला पुनरीक्षण 5.00 रू. के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करते हुये 10 प्रतिशत वृद्धि की दर से 1 अप्रेल, 2019 से शोध्य होगा।
4. यह केवल राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के अधीन किये गये परियोजना करारों के लिए लागू होगा।
5. राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 के पूर्व किये गये परियोजना करारों के लिए फीस की दर करार के सुसंगत खण्डों के अनुसार आपसी सहमति से पुनरीक्षित की जा सकेगी।

[संख्या एफ 8(50)PW/2001/पार्ट-I]
राज्यपाल के आदेश से,
अन्तर सिंह नेहरा,
संयुक्त शासन सचिव।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, March 24, 2017

S.O.149 - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Road Development Act, 2002 the State Government hereby specifies, with effect from **1st April, 2017,** that the fee rates as specified in Schedule given below, shall be levied and chargeable from all persons, in charge of vehicles using all permanent bridges including their approaches, bye passes, tunnels, including their approaches and any section of road which has been developed, constructed, reconstructed, improved or repaired, strengthened, widened, lying on roads under the control and management of the Public Works Department which have been constructed at the expense of the State Government or at the expense of any person or body or association of individuals, whether incorporated or not, or at the expense of both, that is to say the State Government or any such person or body or association, subject to the following conditions, namely :-

1. Fee shall be levied on such facilities /projects which would be constructed or developed after the commencement of the Rajasthan Road Development Act, 2002.

2. All permanent bridges, the cost of construction whereof does not exceed 50 lac rupees and all bye passes, tunnels including

their approaches and any section of road which has been constructed, reconstructed, improved or repaired, the cost of construction whereof does not exceed 75 lac rupees, shall be exempted from levy of fee.

3. The State Government may enter into an agreement with any person or any local body in relation to the development of any road or section thereof. The person or any local body with whom agreement has been made, shall be entitled to collect and retain the whole or such portion of the fees leviable as per Schedule and for such period as may be agreed upon, having regard to the expenditure involved in development of road and collection of the fees, interest on the capital invested, reasonable return on the investment and the volume of traffic.

4. In case a vehicle has to cross the facility /construction more than once i.e. to and fro, such journey will be treated as one unit for charge of fee, for which the user shall have the option to pay one and half times the fee. This option shall be confined to journeys undertaken on the same day.

5. For all the vehicle, monthly pass may be obtained by paying 30 times of the one time fees, mentioned in the Schedule for using the facility/construction.

6. If within a distance of 30 Kms on a road there are two or more bridges or tunnels and within a distance of 50 kms on a road there are two or more bye passes or any section of road which has been constructed, reconstructed, improved or repaired, no fee shall be payable on more than one facility.

7. Vehicles of Defence Department, Vehicles of Police Department, Fire Fighting Vehicles, Ambulances, Funeral Vans, Post and Telegraph Department Vehicles, Central and State Government Vehicles, Vehicles of Hon'ble Judges of the Supreme Court and High Courts, Vehicles of Union Public Service Commission, State Public Service Commission, Vehicle of Lok Ayukta, Vehicles of Panchayat Samities and Local Bodies, Private light vehicles of sitting Members of Parliament, Member of Legislative Assembly, Ex-Member of Legislative Assembly and light motor

vehicles of Accredited Journalists used by themselves, shall be exempted from levy of fee.

8. Part proportionate fee shall be allowed to be levied only after construction of more than 50 percent road length proposed in the project as per agreement, provided minimum 50 kms road length is constructed.

SCHEDULE
(Rate of Fee)

S.No.	Categories of Vehicles	Fee rates per vehicle per trip for bridges tunnels & those bye passes and roads whose length is upto 20 kms (in Rs.)	Fee rates per trip/Km. Payable after rates stated in Col.3 for those byepasses and roads whose length is more than 20 kms. for upto first 20 kms. the fixed rates of Col.3 shall be applicable (Rs. Per Km.)
1	2	3	4
1	(a) Tractors with trolleys carrying non-agricultural produce (No Tax is payable by tractor trolleys carrying agricultural produce and registered for such purpose).	7.45	0.19
	(b) Tempo, Cars, Taxies, Private Cars, Jeeps.	24.79	0.62
2	Motor lorries, Buses, Mini-Buses and other heavy machinery e.g. earthmoving machinery	62.02	1.60
3	(a) Trucks with registered laden weight up to 5(five) tones.	84.34	2.08
	(b) Trucks with registered laden weight more than 5 (five) tones.	126.48	3.17
4	Multi-axle trucks/trailers.	208.34	5.24

Note:- 1. This shall be charged for laden and un-laden Trucks.
2. The fee rates mentioned in the above table will be fixed after rounding of to the nearest of multiple of Rs. 5.00.

3. The above mentioned rates will be applicable from 1st April, 2017. Next revision will be due i.e. w.e.f. 1st April, 2019 @ 10% increase, rounded off to the nearest multiple of Rs. 5.00.
4. This is applicable for project agreements made under Rajasthan Road Development Act, 2002 only.
5. For project agreements before the Rajasthan Road Development Act, 2002 rate of fee can be revised with mutual consent, as per relevant clauses of agreement.

[No. F.8(50)/PW/2001/Part-I]
By Order of the Governor,
Antar Singh Nehra,
Joint Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, जयपुर।

कमांक - 362 दिनांक 24/03/25

प्रबन्ध निदेशक
आरएसआरडीसी लिमिटेड,
सेतु भवन, झालाना डूंगरी,
जयपुर

अधीक्षण अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
वृत–श्रीगंगानगर/झुन्झुनू/
कोटा/जालौर

विषयः–राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002, पर आधारित टोल सड़क परियोजनाओं के लिए दिनांक 01.04.2025 से लागू होने वाली टोल फीस दरों के अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 एवं फीस नियम 2002 पर आधारित परियोजनाओं पर प्रत्येक 02 वर्षो के पश्चात् 10 प्रतिशत टोल फीस वृद्धि का प्रावधान है। इस कम में राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 एवं फीस नियम 2002 के अनुसार दिनांक 01.04.2025 से लागू होने वाली दरें निम्नानुसार होंगीः–

क सं	यानों का प्रवर्ग	ऐस पुलों, सुरंगों और उन उपमार्गो और सड़को के लिए जिनकी लम्बाई 20 किमी तक है, प्रति दौरा प्रति यान फीस दर (रू में)	उन उपमार्गो और सड़को के लिए जिनकी लम्बाई 20 किमी से अधिक है स्तंभ 3 में कथित दरों के पश्चात संदेय प्रति दौरा/किमी फीस की दरें। प्रथम 20 किमी तक के लिए स्तंभ 3 की नियत दरें (प्रति किमी रू) लागू होंगी।
1	(क) अकृषिक उपज ले जा रहे ट्रेक्टर मय ट्रोलियों के (कृषि उपज ले जा रही ओर एसे प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत ट्रेक्टर ट्रोलियों द्वारा कोई कर संदेय नहीं होगा।)	10.89	0.29
	(ख) टेम्पों, टैक्सियां,	36.31	0.91
2	मोटर लारियां, बसे मिनी बसे और अन्य भारी मशीनरी जैसे मिट्टी हटाने वाली मशीनरी	90.78	2.32
3	(क) ट्रक जिनका रजिस्ट्रीकृत लेडन वनज 5 (पांच) टन तक हो	123.46	3.05
	(ख) ट्रक जिनका रजिस्ट्रीकृत लेडन वनज 5 (पांच टन से अधिक हो	185.19	4.61
4	मल्टी–एक्सल ट्रक /ट्रेलर	305.02	7.66

टिप्पणी :–

1. यह लेडन सहित और लेडन रहित ट्रकों पर प्रभारित किया जायेगा।
2. ऊपर सारणी में उल्लिखित फीस की दरें 5 रू के निकटतम गुणज तक पूर्णांकिंत कर नियत की जायेगी।
3. ऊपर उल्लिखित दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। अगला पुनरीक्षण 5.00 रू के निकटतम गुणज तक पुर्णांकित करते हुए 10 प्रतिशत वृद्धि की दर से 1 अप्रैल 2027 से शोध्य होगा।
4. यह केवल राजस्थान सडक विकास अधिनियम, 2002 के अधीन किये गये परियोजना करारों के लिए लागू होगा।
5. यान द्वारा सन्निर्माण सुविधा से एक से अधिक बार गुजरने की दशा में अर्थात् आने जाने को फीस के प्रभार के लिए ऐसी यात्रा को एक इकाई समझा जायेगा, जिसके लिए उपयोक्ता के पास डेढ़ गुना फीस संदत्त करने का विकल्प होगा। यह विकल्प उसी दिन की गई यात्राओं तक सीमित होगा।
6. सभी यानों के लिए सुविधा/सन्निमार्गा का उपयोग करने के लिए उनुसूची में उल्लिखित एक बार की फीस 30 गुना संदाय करके मासिक पास प्राप्त किये जा सकेंगें।
7. रक्षा विभाग के यानों, पुलिस विभाग के यानों, अग्नि शमन यानों, एम्बुलेसों, अन्तेष्टि वेनों, डाक तार विभाग के यानों, केन्द्र और राज्य सरकार के यानों, माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के यानों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के यानों, लोकायुक्त क यानों, पंचायत समितियों और स्थानीय निकायों के यानों, संसद और विधान सभा के असीन सदस्यों, विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यों के हल्के निजी यानों, प्रत्यायि पत्रकारों द्वारा उनके उपयोग के हल्के मोटर यानों, प्रत्यायित पत्रकारों द्वारा उनके उपयोग के हल्के मोटर यानों और गैर–वाणिज्यिक वाहन (निजी वाहनों) को फीस के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है राज राज्य सड़क अधिनियम 2002 पर आधारित टोल सड़क परियोजनाओं पर दिनांक 01.04.2025 से लागू होने वाली उक्त मूल दरों को अपने स्तर पर पुनः जाँच करवा के टोल सड़क के प्रत्येक टोल प्लाजा पर वसूली जाने वाली टोल फीस के लिए रियायती अनुबन्ध/अनुबन्ध के अनुसार आवश्यक आदेश जारी कर इस कार्यालय को सूचित करे।

Mookesh 24/3/25

(मुकेश भाटी)
मुख्य अभियन्ता (पथ)
सा० नि० वि० राजस्थान जयपुर